

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपरखण्ड अधिकारी

रैणी
मुकाम

सरस्वती शिक्षा संस्थान

बनाम लोकेश शर्मा वगै०

नं.....सन्.....


हुक्म या कार्रवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वकील पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण को जर्गे अस्थाई निषेधाज्ञां ताफैसला से पाबन्द किया जावे कि वो हाल खाता संख्या 189 आराजी खसरा नम्बर 2508/0.27, 2509/0.08, 2511/6833/0.34 कुल किता 3 रकबा 0.69 है०, खाता संख्या 300 आराजी खसरा नम्बर 2503/0.48, 2504/0.25, 2505/0.05, 2507/0.07, 2508/6828/0.09, 2508/6834/0.04, 2513/0.35, 2517/0.05, 2537/0.05 कुल किता 9 रकबा 1.43 है० वाके ग्राम रैणी A तहसील रैणी जिला अलवर में स्थित है, से प्रार्थीगण को आराजी से जबरन बेदखल नही करे। ना ही कुल कार्य काश्त में व्यवधान उत्पन्न करे। एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इत्यादि। ताईद में शपथ पत्र पेश है।

बहस वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, शपथपत्र व प्रस्तुत जमाबन्दी के इन्द्राज से प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थी को नापूर्ति क्षति होने का अंदेशा है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजात पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 24.01.2022 तक पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाएँ रखे। अप्रार्थीगण को जर्गे रजिस्टर्ड नोटिस भी जारी हो कि इस सम्बन्ध में उन्हे कोई एतराज हो तो दिनांक 24.01.2022 को न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज रजिस्टर हो।


उपरखण्ड अधिकारी रैणी
रैणी जिला अलवर

24/01/22

पत्रावली मूल्वाड के सामे पेश हुई। मूल्वाड की कार्रवाही नोट प्रेम द्वारा खारेज हो चुकी है। अतः मूल्वाड का निस्तरण हो जाने से प्रार्थना पत्र 212 RT Act का कोई फायदा नहीं रहता है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RT Act

Not press
Jammal

हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
जो

की कार्यवाही ड्राफ्ट की जाती है। फावली
फॉर्मल शुमार होकर राईटर सेक्टर
की जावे। महान मूल्याद हो।

15
उपखण्ड अधिकारी
रेणी जिला अलवर